कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001
email-jdanic-jod-rj@nic.in osc&lkbZV jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक /टीसीबी/ /2023 / 220 दिनांक:– 06 फरवरी, 2023

–: बैठक कार्यवाही विवरण:–

जोधपुर यातायात नियत्रंण बोर्ड की बैठक दिनांक 11 जनवरी ,2023 को दोपहर 03:00 बजे श्री नवनीत कुमार, आर.ए.एस., आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण एंव अध्यक्ष जोधपुर यातायात नियत्रंण बोर्ड की अध्यक्षता में प्राधिकरण स्थित कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों / अधिकारियों की सूची परिशिष्ट –1 पर सलंग्न है।

बैठक में बाद विस्तृत विमर्श सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

एजेण्डा नं 01 :: **जोधपुर यातयात नियन्त्रण बोर्ड की बैठक दिनांक 20 मई 2022 का कार्यवाही विवरण दिनांक 07 जून, 2022 को जारी किया जा चुका है। अतः गत बैठक दिनांक 20 मई 2022 का विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है ।**

निर्णयः– अध्यक्ष महोदय द्वारा गत बैठक दिनांक 20.05.2022 का कार्यवाही विवरण 07 जून 2022 को जारी किया जाकर संबंधित सभी को प्रेषित किया जा चुका था। समिति की गत बैठक में लिये गये निर्णयों की कतिपय विभागो की पालना रिपोर्ट अप्राप्त है। अतः विस्तृत चर्चा के बाद पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने उपरांत बैठक कार्यवाही विवरण अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा नं 02 :: **कार्यालय पुलिस आयुक्त जोधपुर से प्राप्त एजेण्डा नोट –**

1. **शहर की यातायात व्यवस्था हेतु लगाई गई घुमटियों की मरम्मत एवं रंग रोगन करवाने के सम्बन्ध में ।**

निर्णयः– अध्यक्ष महोदय निर्देशानुसार आगामी दिनो में G-20 की सम्मिट प्रस्तावित होने के मद्देनजर शहर की यातायात व्यवस्था हेतु लगाये गये घुमटियों की मरम्मत एंव रंग रोगन करवाने के निर्देश प्रदत किये।

2. **शहर की यातायात व्यवस्था हेतु नई घुमटियॉ लगवाने के सम्बन्ध में ।**

निर्णयः– उक्त प्रस्ताव में निदेशक अभियांत्रिकी ने अवगत करवाया कि नवीन घुमटियों का निर्माण जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नही करवाया जाता है। शहर में पूर्व में बनी घुमटियां B.O.T. के आधार पर बनी है। अतः बाद विचार विमर्श अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तावित नई घुमटियॉ बाबत् विस्तृत प्रस्ताव आगामी बैठक में निर्णयार्थ/विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा नं 03 :: **कार्यालय पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात जोधपुर से प्राप्त एजेण्डा नोट –**

1. **पुलिस आयुक्तालय सीमा में नवीन गतिसीमा के अनुरूप बोर्ड लगाने बाबत्।**

निर्णयः– प्रकरण में बाद विचार विमर्श अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित

विभागवार सडकों पर उसी विभाग द्वारा नवीन गति सीमा बोर्ड लगवाये जाए। नवीन गति सीमा का सर्कुलर पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय एवं यातायात जोधपुर द्वारा एजेण्डा के साथ संलग्न प्रस्तुत किया गया है जो कि संबंधित विभाग को कार्यवाही विवरण के साथ भिजवाया जावें।

2. पृथ्वीराज नगर कट पर स्पीड ब्रेकर के सम्बन्ध में ।

निर्णयः– उपरोक्त प्रस्ताव में चर्चा उपरांत अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा यह मत रखा गया कि उक्त सडक राष्टीय राजमार्ग का भाग है जिस पर यातायात नियंत्रण हेतु स्पीड ब्रेकर की बजाय Rumble Strip लगवाया जाना उचित रहेगा। अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रकरण में पृथ्वीराज नगर कट पर सम्बन्धित विभाग को Rumble Strip लगवाने के निर्देश प्रदान किये गये।

3. आखलिया चौराहा पर सुगम यातयात व्यवस्था के सम्बन्ध में ।

निर्णयः– प्रकरण में एसीपी ट्राफिक ने अवगत कराया कि आखलिया सर्कल यातायात दृष्टि से व्यस्ततम पॉइण्ट में से एक है। यह चौराहा नहीं होकर तिराहा होने से यातायात सहजता से व सुगम संचालित नहीं हो रहा है। यातायात सिग्नल लाईट का क्रम भी अस्सी सेकण्ड में एक बार ही पूरा होता है। तिराहे पर स्थित जैसलमेरिया मूर्ति तिराहे के मध्य नहीं होने से यातायात व्यवस्था बेतरतीव रहती है। यदि तिराहे पर स्थित मूर्ति इंजिनियरिंग परीक्षण के पश्चात् उपयुक्त स्थान पर स्थापित की जाती है तो यातायात और सुगम होगा।

मूर्ति स्थापना एवं स्थानान्तरण की अनुमति बाद परीक्षण संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा दी जाती है। प्रकरण में स्थानान्तरण की अनुमति प्राप्त नहीं की गई है और न ही इंजिनियरिंग परीक्षण किया गया है। अतः प्रस्ताव खारिज किया जाना उचित रहेगा।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में रखे गये मत के मद्देनजर उक्त प्रस्ताव को खारिज किये जाने का निर्णय लिया गया।

4. नागौरी गेट के अन्दर गोपाल भवन के पास ऑटो रिक्शा स्टेण्ड हटाने बाबत् ।

निर्णयः– प्रकरण में एसीपी ट्राफिक ने एजेण्डा विवरण को दोहराते हुए अवगत कराया कि नागोरी गेट के अंदर गोपाल भवन के पास ऑटो स्टेण्ड होने से पुराने शहर में आबादी क्षेत्र व सडके छोटी होने से भीड'–भाड एवं यातायात दबाव अत्यधिक होने से वर्तमान में उक्त टेक्सी स्टेण्ड से आवागमन बाधित रहता है। समय–समय पर व्यापारी व मौहल्लेवासियों द्वारा भी कार्यालय में टेक्सी स्टेण्ड हटाने का निवेदन किया है। वर्तमान में गोपाल पोल पर ऑटो खडे होने से आम नागरिको को आने जाने के दौरान समस्या होती है। इस कारण यातायात दृष्टि से ऑटो रिक्शा स्टेण्ड हटाया जावे।

इस संबंध में प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जोधपुर ने यह मत रखा कि पूर्व में स्वीकृत ऑटो रिक्शा स्टेण्ड को हटाया नही जा सकता परन्तु

पूर्व में स्वीकृत ऑटो रिक्शा स्टेण्ड को हटाया नही जा सकता परन्तु भीड–भाड अत्यधिक होने के कारण स्वीकृत टेक्सीयों के अतिरिक्त टेक्सी खडी होने पर पुलिस उपायुक्त यातायात एवं मुख्यालय नियमानुसार उचित कार्यवाही करें। अध्यक्ष महोदय द्वारा उचित कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये ताकि आवागमन बाधित न हो।

5. **अधिसूचित प्राईवेट बस स्टैण्ड विकसित करने बाबत् (डी.बी. सिविल अवमानना याचिका संख्या 371/2016 द्वारा रवि लोढा बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय राजस्थान, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.11.2019 के सन्दर्भ मे।**

निर्णयः– प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डीबी सिविल अवमानना याचिका संख्या 371/2016 द्वारा रवि लोढा बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय राजस्थान, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.11.2019 की पालना में पूर्व में यातायात नियंत्रण बोर्ड की बैठक में चार स्थानो पर क्रमशः राजस्व ग्राम चौखा खसरा नं. 717, (4000 वर्गगज) पश्चिम जोन जैसलमेर रोड, राजस्व ग्राम चौखा खसरा नं. 717 (4000 वर्गगज) पश्चिम जोन बाडमेर रोड, राजस्व ग्राम देसूरिया विश्नोईयान खसरा नं. 55, (4000 वर्गगज) उत्तर जोन नागौर/बीकानेर रोड तथा विवेक विहार येाजना (4000 वर्गगज) दक्षिण जोन पाली रोड, बस स्टेण्ड अधिसूचित किये गये है, जिनको विकसित करने का कार्य जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा किया जाना है।

इस सबंध में सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया कि उक्त चारो चिन्हित स्थानो पर आयोजना शाखा से बस स्टेण्ड का प्लान बनाया जाना है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेशक आयोजना को उक्त चारो बस स्टेण्ड का प्लान अतिशीघ्र बनाकर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

6. **ब्लैक स्पॉट्स पर सडक दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु कार्य करवाने के सम्बन्ध में ।**

निर्णयः– उपरोक्त बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार गत बैठक कार्यवाही विवरण एजेण्डा संख्या 2/2 में पारित निर्णय की पालना के साथ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया एंव अतिरिक्त बिन्दुओ के संबंध में सम्बंन्धित विभाग, नगर निगम ,जोधपुर (उत्तर/दक्षिण) के साथ वार्ता कर प्रस्ताव आगामी बैठक में निर्णयार्थ/विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

7. **यातायात नियन्त्रण बोर्ड की आगामी प्रस्तावित बैठक हेतु प्राप्त एजेण्डा बिन्दु ।**

निर्णय– हस्तगत एजेण्डा में 17 बिन्दु विहित किए गए है इन बिन्दुओ में से बिन्दु संख्या 5, 9, 10, एवं 11 के एजेण्डा पृथक से कर्यालय पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय एवं यातायात जोधपुर द्वारा प्रेषित किए गए जिन पर चर्चा कर निर्णय लिया जा चुका है शेष बिन्दु सामान्य रूप से विहित किए

गए जिन पर अध्यक्ष महोदय द्वारा सर्व सम्मति से हुई चर्चा अनुसार सामुहिक निर्णय न लिया जाकर आगामी बैठक में बिन्दुवार पृथक–पृथक एजेण्डा स्पष्ट तथ्यो के साथ प्रस्तुत करने हेतु निर्णय लिया गया।

एजेण्डा नं 04 :: **कार्यालय अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात जोधपुर से प्राप्त एजेण्डा नोट –**

1. **राष्ट्रीय राजमार्ग पर गतिसीमा की सूचना उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में ।**

निर्णयः– प्रकरण में बाद विचार विमर्श अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित विभागवार सडको पर उसी विभाग द्वारा नवीन गति सीमा बोर्ड लगवाये जाए। नवीन गति सीमा का सर्कुलर पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय एवं यातायात जोधपुर द्वारा एजेण्डा के साथ संलग्न प्रस्तुत किया गया है जो कि संबंधित विभाग को कार्यवाही विवरण के साथ भिजवाया जावें।

2. **शहर में भारी वाहनों की अनुमति के सबंध में ।**

निर्णयः– उपरोक्त प्रकरण में चर्चा अनुसार संबंधित विभाग द्वारा जारी वाहन प्रवेश अनुमति दिनांक 07.12.2022 निरस्त किया जाना अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अवगत करवाया गया। बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आवागमन के निर्णय पर सहमति पूर्व में ही प्रदान की गई है। अति आवश्यक होने पर संबंधित विभाग से पूर्व चर्चा कर न्यूनतम व्यस्तता वाले वैकल्पिक मार्ग से अनुमति का निर्णय आवश्यकतानुसार लिया जाने का निर्णय अध्यक्ष महोदय द्वारा लिया गया।

एजेण्डा नं 05 :: **प्रादेशिक परिवहन अधिकारी द्वारा प्राप्त एजेण्डा बिन्दु**

.1. **न्यू हाईकोर्ट से मण्डोर नवीन मार्ग के संबंध में ।**

निर्णयः– प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर से प्राप्त प्रस्ताव पर बैठक में चर्चा की गई तथा यातायात पुलिस के द्वारा उक्त नवीन मार्ग खोलने पर सहमति प्रदान की गई। सभी सदस्यों के द्वारा उक्त नवीन मार्ग पर 8 व्यक्ति बैठक क्षमता के वाहनों को संचालन की अनुमति जारी किये जाने की सहमति हुई। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार (न्यू हाईकोर्ट से मण्डोर तिराहा) वाहनों को मण्डोर उद्यान के स्थान पर पन्नालाल गौशाला तक के नाम से नवीन मार्ग खोलने के प्रस्ताव पर स्वीकृति की जाती है।

.2. **धरोहर उच्च न्यायालय परिसर से न्यू हाईकोर्ट तक नवीन मार्ग के संबंध में।**

निर्णयः– प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर से प्राप्त प्रस्ताव पर चर्चा की गई तथा यातायात पुलिस के द्वारा मार्ग खोलने पर सहमति प्रदान की गई। सभी सदस्यों के द्वारा उक्त नवीन मार्ग पर नगर निगम के द्वारा सचांलित जेबीएसएल के वाहनो के सचांलन पर सहमति हुई तथा इस संबंध में नगर निगम को पत्र लिखा जाये, जेबीएसएल वाहनों को दोनो स्थान पर स्टेण्ड उपलब्ध होने तक के संबंध में रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

3. **नगरीय परिवहन सेवा मार्ग संख्या 10 एंव 40 को श्रीयादे धाम झालामण्ड तक बढाने के संबंध मे।**

निर्णयः— प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर से प्राप्त प्रस्ताव पर चर्चा की गई। **नगरीय परिवहन** सेवा मार्ग संख्या 40 एंव 10 को श्रीयादे धाम झालामण्ड तक बसों के संचालन पर चर्चा की गई तथा रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में उक्त स्थान पर आबादी क्षेत्र नही होने तथा पर्याप्त यात्री भार नही होने के कारण प्रस्ताव खारिज किया जाता है।

4. नगरीय परिवहन सेवा मार्ग संख्या 5 चांदपोल से मण्डलनाथ फांटा के वायाज् कृषि विश्वविधालय से 8 मील तक कटौती के संबंध में।

निर्णयः— प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर से प्राप्त प्रस्ताव पर चर्चा की गई। नगरीय परिवहन सेवा मार्ग संख्या 05 चांदपोल से मण्डलनाथ फांटा वर्तमान में कृषि विश्वविधालय से 8 मील तक कटौती का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव पर चर्चा की गई वर्तमान समय में कटौती वाले भाग पर कोई अन्य परिवहन सेवा उपलब्ध नही होने के कारण कटौती प्रस्ताव खारिज करने का निर्णय लिया गया।

5. नगरीय परिवहन सेवा मार्ग संख्या 5 चांदपोल से मण्डलनाथ फांटा में पावटा से मण्डलनाथ फांटा तक की कटौती एंव पावटा से देवलिया फांटे तक का डाईवर्जन के संबंध में।

निर्णयः— प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर से प्राप्त प्रस्ताव पर चर्चा की गई। नगरीय परिवहन सेवा मार्ग संख्या 05 चांदपोल से मण्डलनाथ फांटा वर्तमान मार्ग पावटा से 16 मील के वृद्विकरण , डाईवर्जन तथा पावटा से मण्डलनाथ फांटा की कटौती के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 80 (3) में किसी मार्ग में 24 किलोमीटर से अधिक वृद्विकरण , कटौती तथा डाईवर्जन नही किये जाने का प्रावधान है। उक्त मार्ग में वर्तमान में 23 किलोमीटर के डाईवर्जन तथा इस मार्ग पर पूर्व में 5 किलोमीटर का वृद्विकरण किया जा चुका है। सभी सदस्यों के द्वारा चर्चा के पश्चात् मोटर वाहन अधिनियम के तहत डाईवर्जन , वृद्विकरण तथा कटौती के अन्तर्गत उक्त मार्ग पर अन्य मार्ग के ओवरलॉप होने एवं 24 किलोमीटर से अधिक वृद्विकरण नही किये जाने के नियम होने के कारण प्रस्ताव खारिज किये जाने का निर्णय लिया गया।

6. नगरीय परिवहन सेवा मार्ग संख्या 5 चांदपोल से मण्डलनाथ फांटा के वाया 8 मील से किशोरबाग डाईवर्जन के संबंध मे।

निर्णयः— प्रादेशिक परिवहन अधिकारी , जोधपुर से प्राप्त प्रस्ताव पर चर्चा की गई। जिसमें निम्न निर्णय लिये गये।

- नगरीय परिवहन सेवा मार्ग संख्या 05 में प्राप्त कटौती तथा डाईवर्जन के प्रस्ताव पर सभी सदस्यों के द्वारा चर्चा की गई उक्त प्रस्ताव में कटौती करने पर इस मार्ग के आमली बेरा, मण्डावता बेरा आदि भाग के निवासियों को परिहवन सेवा से वंचित होना पडेगा तथा इस स्थान पर अन्य परिवहन सेवा उपलब्ध नही होने के कारण प्रस्ताव खारिज करने का निर्णय लिया जाता है।
- नगरीय परिवहन सेवा मार्ग संख्या 05 में सिवांची गेट से बारहवीं रोड़ के वृद्विकरण तथा सिवांची गेट से चांदपोल तक कटौती प्रस्ताव पर चर्चा की गई जिसमें सिवांची गेट से चांदपोल तक अन्य कोई परिवहन सेवा नही होने तथा मानवधिकार आयोग में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण प्रस्ताव खारिज करने का निर्णय लिया जाता है।

- नगरीय परिवहन सेवा मार्ग संख्या 05 ए एयरफोर्स गुरूद्वारा से मण्डोर उद्यान तक वर्तमान मार्ग पर एयरफोर्स गुरूद्वारा से एम्स अस्पताल के वृद्विकरण के प्रस्ताव पर चर्चा की गई एम्स अस्पताल पर स्टेण्ड की स्वीकृति नही दी जा सकती है, तथा पावटा से मार्ग संख्या 06 –04 की सेवा उपलब्ध होने के कारण उक्त वृद्विकरण प्रस्ताव खारिज किया जाता है।

7. नगरीय परिवहन सेवा टेम्पों मार्ग संख्या 6 पावटा से बनाड़ वृद्विकृत एम्स अस्पताल रहवासीय क्वार्टस मार्ग का बनाड़ से 16 मील फांटा तक वृद्विकरण के संबंध में।

निर्णयः– प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर से प्राप्त प्रस्ताव पर चर्चा की गई। नगरीय परिवहन सेवा मार्ग संख्या 06 टेम्पों पावटा से बनाड़ वृद्विकरण एम्स अस्पताल रहवासीय क्वार्टस में बनाड़ से 16 मील तक वृद्विकरण के संबंध में चर्चा की गई तथा पूर्व में 10.3 किलोमीटर वृद्विकरण किया जा चुका है, एंव 9.9 किलोमीटर का वृद्विकरण चाहा गया है। सभी सदस्यों द्वारा चर्चा उपरान्त बनाड़ से 16 मील फांटा तक वृद्विकरण के प्रस्ताव को स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

8. नगरीय परिवहन सेवा टेम्पों मार्ग संख्या 6 पावटा से बनाड़ मार्ग वृद्विकरण एम्स अस्पताल में टेम्पों (08 सीटर) वाहनों के स्थान पर स्थाई प्रतिस्थापन 22 से 25 सीटर मिनीबस वाहनों के संबंध में।

निर्णयः– प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर से प्राप्त प्रस्ताव पर चर्चा की गई। नगरीय परिवहन सेवा मार्ग संख्या 06 टेम्पों में प्राप्त प्रस्ताव 08 सीटर वाहन का स्थाई प्रति स्थापन 22–25 सीटर बसों द्वारा करने के संबंध पर चर्चा की गई। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 83 The Permission Granted Replce any Vehicle of some nature है। इस संबंध में प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान सदस्य परिवहन प्राधिकार जयपुर को भिजवाया जावें।

9. नगरीय परिवहन सेवा मार्ग संख्या 4 मगरा पुंजला से 220 के.वी विधुत मण्डल में दाउजी की होटल से एम्स आवासीय कॉलोनी तक डायवर्जन संबंध मे।

निर्णयः– प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर से प्राप्त प्रस्ताव पर चर्चा की गई। नगरीय परिवहन सेवा मार्ग संख्या 04 मगरा पुंजला से 220 के.वी विद्युत मण्डल में ट्रक यूनियन चौराहा से मेडी प्लस अस्पताल तक 0.3 किलोमीटर कटौती व ट्रक यूनियन चौराह से एम्स गेट नं. 03, 04 एंव 05 एम्स आवासीय परिसर नोबल आर्ट प्रकाश ढाबा मेडीप्लस अस्पताल 2.1 किलोमीटर तक डाईवर्जन चर्चा उपरान्त स्वीकृति करने का निर्णय लिया गया है।

एजेण्डा नं 06 :: **माननीय जनप्रतिनिधि द्वारा प्राप्त एजेण्डा बिन्दु**

1. **खारिज हुए मार्ग पुनः खोलने बाबत् (श्रीमति सूर्यकान्ता व्यास सदस्या राजस्थान विधानसभा सूरसागर क्षेत्र जोधपुर।**

निर्णयः– प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर से पूर्व में प्राप्त प्रस्ताव तथा माननीय विधायिका सूरसागर श्रीमति सूर्यकान्ता व्यास के द्वारा पुनः विचार करने के संबंध में पत्र प्राप्त होने पर उक्त बैठक में चर्चा की गई। जिस पर यातायात पुलिस के द्वारा उक्त नवीन मार्ग खोलने पर सहमति प्रदान की गई। सभी सदस्यों के द्वारा उक्त नवीन मार्ग पर 08 व्यक्ति बैठक क्षमता के वाहनो को संचालन करने बाबत् जारी सहमति हुई। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार (डाली बाई मंदिर से मण्डोर तिराहा) वाहनो को मण्डोर उद्यान के स्थान पर पन्नालाल गौशाला के सामने खडे करने की अनुमति प्रदान करने के साथ मार्ग डाली बाई मंदिर से पन्नालाल गौशाला तक के नाम से नवीन मार्ग खोलने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

एजेण्डा नं 07 :: **अन्य एजेण्डा नोट :–**

1. **टैक्सी वालो से परेशान व्यापारियों के लिये उचित कार्यवाही करने बाबत् (धनश्याम वैष्णव)**

निर्णयः– उपरोक्त बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में सम्बन्धित विभाग प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये।

2 **सिटी बस रूट संख्या 1 व 1ए की सिटी बसों को खड़ी करने के लिए बस स्टेण्ड हेतु ग्राम देसूरियॉ विश्नोईयां के खसरा नम्बर 55 व 56 में रोडवेज विभाग को आवंटित भूमि के पास 4 बींघा भूमि आवंटित करने के विषय मे। (जोधपुर सिटीबस ऑनर्स यूनियन भण्डार, जोधपुर)**

निर्णयः– उपरोक्त प्रकरण में चर्चा अनुसार ग्राम देसूरियां विश्नाईयां जोधपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में आता है। प्रकरण में नवीन आवंटन नीति 2015 के अनुसार कार्यवाही करने एवं संबंधित को अवगत कराने का निर्णय लिया गया।

3. जोधपुर शहर में चांदपोल से 16 मील तक (रूट संख्या 5) सिटी बस सेवा प्रारम्भ करवाने बाबत्।

निर्णयः– उपरोक्त बैठक में बाद विचार विर्मश सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार एजेण्डा संख्या 5/5 के अनुसार खारिज करने का निर्णय लिया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(जयनारायण मीणा)
सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

क्रमांक/टीसीबी 2022/ 231-236 दिनांक :- 06 फरवरी, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को बैठक में उपस्थित होने हेतुः–

01. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
02. जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
03. आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर
04. आयुक्त, नगर निगम जोधपुर (उत्तर/दक्षिण)।
05. पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जोधपुर/पुलिस उपायुक्त मुख्यालय/ पूर्व/पश्चिम /यातायात, पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर।
06. महाप्रबन्धक (प्रचालन), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जोधपुर जोन
07. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जोधपुर ।
08. अपर मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
09. अपर मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
10. अपर मुख्य अभियन्ता, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर।
11. वरिष्ठ प्रबंध, रिको, जोधपुर।
12. अधीक्षण अभियंता, पी.डब्ल्यु.डी. (एन.एच.) जोधपुर।
13. निदेशक वित्त/विधि/आयेाजना/अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
14. उपायुक्त (जोन–1/2/3/4/5/6), उपसचिव एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण,जोधपुर।
15. सहायक जन संपर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण,जोधपुर।
16. प्रोगामर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को कार्यवाही विवरण को वेब–साईट पर अपलोड करने तथा संबंधित अधिकारियों को जरिये ई–मेल प्रेषित करने हेतु प्रेषित है।

(जयनारायण मीणा)
सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

परिशिष्ट–1

दिनांक 11 जनवरी 2023 को दोपहर पश्चात् 3.00 बजे श्री नवनीत कुमार, आर.ए.एस, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की बैठक आयोजित हुई, बैठक में उपस्थित अधिकारियों की उपस्थिति निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पदनाम व विभाग
1	श्री नवनीत कुमार, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
2	श्री जयनारायण मीणा, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
3	श्रीमती अंशु जैन, सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात, जोधपुर।
4	श्री हरजी राम, उप अधीक्षक पुलिस, (ग्रामीण) जोधपुर।
5	श्री रामनारायण बडगुर्जर, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर।
6	श्री सुभाष चंद्र शर्मा, निदेशक आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
7	श्री जगदीश प्रसाद, निदेशक विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
8	श्री महेन्द्र सिंह पंवार, निदेशक अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
9	श्री मोहन राम, अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर।
10	श्री हरमेन्द्र सिंह, मैनेजर (T), एन.एच.ए.आई. जोधपुर।
11	श्री रामपाल, मैनेजर (A), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर।
12	श्री राकेश गहलोत, अधिशाषी अभियंता (विद्युत), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
13	श्री ललित कुमार मतनानी, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14	श्री रवीन्द्र कुमार, उपायुक्त (प्रभारी अधिकारी, टी.सी.बी.)जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

(जयनारायण मीणा)
सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर